( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 29 / 2024**

**पंजीकरण संख्या :– 2024 / 178**

**बउनवान**

1. कालीबाई आयु 66 वर्ष पत्नी छीतरलाल जाति मीना निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू
2. छीतरलाल आयु 70 वर्ष पुत्री मनीराज जाति मीना निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू

(अपीलांटगण)

**बनाम**

1. कैलाबाई आयु 70 वर्ष पत्नी स्व0 गोपाल जाति मीणा निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू
2. मेघराज आयु 35 वर्ष पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू
3. राजेन्द्र आयु 33 वर्ष पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू
4. राकेश आयु 31 वर्ष पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू
5. प्रेम आयु 69 वर्ष पुत्री भेरिया पत्नी चतर्भुज जाति मीणा निवासी हाथी दीलोद तहसील अटरू

(रेस्पोडेन्टगण)

6. धनराज आयु 50 वर्ष पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू
7. किशनगोपाल आयु 47 वर्ष पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू
8. शांतिलाल आयु 45 वर्ष पुत्र शिवचरण जाति मीना निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू

(रेस्पोडेन्टगण)

**अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू के द्वारा प्रकरण संख्या 08 / 2023 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट बउनवान कैलाबाई बनाम शान्तिलाल में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2024 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट**

उपस्थित :– 1– श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री सत्यनारायण मीणा अभिभाषक (रेस्पो. क्रम 1 ता 5)
3– अनुपस्थित (रेस्पो. क्रम 6 ता 8)

**प्रकरण संख्या :– 30 / 2024**

**पंजीकरण संख्या :– 2024 / 177**

**बउनवान**

1. धनराज आयु 46 वर्ष पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू
2. किशनगोपाल आयु 48 वर्ष पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू

(अपीलांटगण)

**बनाम**

1. कैलाबाई आयु 71 वर्ष पत्नी स्व0 गोपाल जाति मीणा निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू
2. मेघराज आयु 35 वर्ष पुत्र स्व0 गोपाल जाति मीणा निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू
3. राजेन्द्र आयु 34 वर्ष पुत्र स्व0 गोपाल जाति मीणा निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू
4. राकेश आयु 32 वर्ष पुत्र स्व0 गोपाल जाति मीणा निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू
5. प्रेम आयु 70 वर्ष पुत्री भेरिया पत्नी चतर्भुज जाति मीणा निवासी हाथी दीलोद तहसील अटरू

(रेस्पोडेन्टगण)

6. शांतिलाल आयु 45 वर्ष पुत्र शिवचरण जाति मीना निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू
7. कालीबाई आयु 67 वर्ष पत्नि छीतरलाल जाति मीना निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू
8. छीतरलाल आयु 72 वर्ष पुत्र मनीराम जाति मीना निवासी खेडली नाहरिया तहसील अटरू

(रेस्पोडेन्टगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:30:27 IST
Reason: SelfAttested

**<u>अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू के द्वारा प्रकरण संख्या 08/2023 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट बउनवान कैलाबाई बनाम शान्तिलाल में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2024 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट</u>**

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री सत्यनारायण मीणा अभिभाषक (रेस्पो. क्र. 1 ता 5)
3– अनुपस्थित (रेस्पो. क्रम 6 )
4– श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल अभिभाषक (रेस्पो. क्रम 7,8)

**<u>निर्णय दिनांक 27.01.2025</u>**

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के द्वारा प्रकरण संख्या 08/2023 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट बउनवान कैलाबाई बनाम शान्तिलाल में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2024 से अप्रसन्न होकर अपीले पृथक–पृथक अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 28.10.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्टगण द्वारा उपरोक्तानुसार जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई ।

**अपीलांटगण के अभिभाषक** द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कहा गया कि रेस्पो. क्रम 1 ता 5 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू के समक्ष इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण कैलाबाई, मेघराज, राजेन्द्र, राकेश, प्रेम की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम खेडलीनाहरिया तह. अटरू में स्थित है। आराजियात खाता संख्या 146 के खसरा नं. 307 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नं. 310/691 रकबा 0.45 हेक्टर, खसरा नं. 361 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नं. 423 रकबा 0.17 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.44 हेक्टर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि में से खसरा नं. 423 रकबा 0.17 हेक्टर माल खेडली नाहरिया तहसील अटरू जिला बारां की आराजी पर अप्रार्थीगण शांतिलाल, कालीबाई, छीतरलाल, धनराज, किशनगोपाल ने जानबूझकर जबरदस्ती जातिय कारणों से प्रार्थीगण की इच्छा के विपरीत व बिना इजाजत के कब्जा कर लिया है। प्रार्थीगण अपनी आराजियात को काश्त करने से वंचित हो रहे है। उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। अंत में अनुतोष चाहा गया कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की आराजियात से बेदखल कर कब्जा प्रार्थीगण को दिलाया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी अपीलार्थीगण के पूर्वजों के जमाने से 75 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार कब्जा काश्त है। यह भी निवेदन किया है कि उक्त आराजी संवत् 2012 से पहले भेरिया पुत्र घांसी मीणा गौत्र डडवासी के खाते दर्ज थी। इसके पहले बुजुर्गो के खाते दर्ज थी। ग्राम खेडली नाहरिया में भैरू पुत्र घांसी नाम के दो व्यक्ति है जिनमें एक रेस्पो. शांतिलाल, कालीबाई एवं छीतरलाल के पूर्वज जिनका गौत्र डडवासी था तथा दूसरा रेस्पो. क्रम 1 के पूर्वज जिनका गौत्र पाकलथा एक हीं नाम जाति होने की वजह से उक्त आराजी रेस्पो. क्रम 1 ता 5 के खाते दर्ज हो गई है जबकि वास्तविक हकदार अपीलार्थीगण है। उक्त आराजी पर पूर्वजों से लगातार बिना किसी बाधा के निरंतर रूप से अपीलार्थीगण तथा इनके पूर्व इनके पूर्वजों के कब्जे काश्त में रही है। अर्थात् उक्त आराजियात पर रेस्पो. क्रम 1 ता 5 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा और न हीं उनके पूर्वजों का रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि आराजी खसरा नं. 423 पर यह कब्जा गत 12 वर्षों में किया है। इन तमाम हालात में प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपीलार्थीगण उक्त आराजी पर लॉ फुल अथोरिटी के रूप में काबिज होने से यह प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है। प्रकरण पूर्व में उच्च न्यायालय आर.ए.ए. रेवेन्यू बोर्ड में भी चला है। वर्तमान में कही जैरकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:30:27 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत एवं न्याय के नैसर्गिक नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विधि का सुस्थापित नियम है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर हीं प्रदान नहीं किया।

अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टगण एक ही जाति के है। दोनों एस.टी. व एस.सी. के है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने एवं उसका निर्णय करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। फिर भी उक्त प्रार्थना पत्र को सुन कर विवादित निर्णय पारित कर गंभीर कानूनी भूल की है। अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील नं. 5853/2014 निर्णय दिनांक 30.06.2014 बउनवान रामकरण बनाम सरकार प्रस्तुत किए गए। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2024 निरस्त फरमाया जावें।

**रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक** द्वारा दौराने बहस कहा गया कि प्रकरण में उक्त विवादित आराजी के हम रेस्पो. क्रम 1 ता 4 जमाबंदी संवत् 2072–2075 ग्राम खेडलीनाहरिया तहसील अटरू जिला बारां के अनुसार आराजी खसरा नंबर 307 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नंबर 310/691 रकबा 0.45 हेक्टर, खसरा नंबर 361 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नंबर 423 रकबा 0.17 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.44 हेक्टर के राजस्व रेकार्ड में खातेदार है। अपीलांटगण हमारी भूमि को हड़पना चाहते है। हमें कब्जा दिलाया जावे। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा 183 बी आर.टी.एक्ट के तहत विद्यमान प्रावधानों के अनुरूप निर्णय पारित किया गया है जो सही है।

**प्रकरण में** उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। अपीलांटगण का मुख्य कथन है कि अपीलार्थीगण के पूर्वजों के जमाने से 75 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार कब्जा काश्त है। यह भी निवेदन किया है कि उक्त आराजी संवत् 2012 से पहले भेरिया पुत्र घांसी मीणा गौत्र डडवासी के खाते दर्ज थी। इसके पहले बुजुर्गो के खाते दर्ज थी। ग्राम खेडली नाहरिया में भैरू पुत्र घांसी नाम के दो व्यक्ति है जिनमें एक रेस्पो. शांतिलाल, कालीबाई एवं छीतरलाल के पूर्वज जिनका गौत्र डडवासी था तथा दूसरे रेस्पो. क्रम 1 ता 5 के पूर्वज जिनका गौत्र पाकलथा एक हीं नाम जाति होने की वजह से उक्त आराजी रेस्पो. क्रम 1 ता 5 के खाते दर्ज हो गई है जबकि वास्तविक हकदार अपीलार्थीगण है। उक्त आराजी पर पीढियों से लगातार बिना किसी बाधा के निरंतर रूप से अपीलार्थीगण तथा इससे पूर्व हमारे पूर्वजों के कब्जे काश्त में रही है। अर्थात् उक्त आराजियात पर रेस्पो. क्रम 1 ता 5 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा और न हीं उनके पूर्वजों का रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि आराजी खसरा नं. 423 पर यह कब्जा गत 12 वर्षों में किया है। इन तमाम हालात में प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपीलार्थीगण उक्त आराजी पर लॉ फुल अथोरिटी के रूप में काबिज होने से यह प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं है। प्रकरण पूर्व में उच्च न्यायालय आर.ए.ए. रेवेन्यू बोर्ड में भी चला है। वर्तमान में कहीं जेरकार नहीं है। प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर साबित नहीं होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:27 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि उक्त विवादित आराजी के हम रेस्पो. क्रम 1 ता 4 जमाबंदी संवत् 2072–2075 ग्राम खेडलीनाहरिया तहसील अटरू जिला बारां के अनुसार आराजी खसरा नंबर 307 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नंबर 310/691 रकबा 0.45 हेक्टर, खसरा नंबर 361 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नंबर 423 रकबा 0.17 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.44 हेक्टर के राजस्व रेकार्ड में खातेदार है। अपीलांटगण हमारी भूमि को हड़पना चाहते है। हमें कब्जा दिलाया जावे।

**प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय** की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस जारी कर जवाबदेही का अवसर दिया गया। प्रकरण में पटवारी हल्का से विवादित आराजी की रिपोर्ट ली जाकर शामिल पत्रावली की गई। अपीलांटगण द्वारा जरिये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति दी गई एवं अपीलांट शांतिलाल, कालीबाई एवं छीतरलाल की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलांटगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर भी प्रदान किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा पारित निर्णय में यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

**परिणामस्वरूप** अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **27.01.2025** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

**(दिवांशु शर्मा)**
**अति0 जिला कलक्टर**
**बारॉ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:30:27 IST
Reason: SelfAttested